

खास

संख्या-91139/11(2)/16-42(समाप्त/समाप्त)/2016

अतिरिक्त सिट्टि एकाई  
प्रमोड रावत  
संलग्नकालीन शासन

क.आ.म.  
प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग 2

देहरादून दिनांक 27/अक्टूबर/2016

विषय - वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारसूला के अन्तर्गत विभिन्न 10 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

नारायण

उपरोक्त विषयक गुज़र यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता जनपद लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपरोक्त कार्ययें प्रथम चरण के आगमन, निराकरी प्रकल्पानुसार 60.00 हेक्टेयर जमीन 08 सेंटी तथा लागत ₹ 453.67 लाख है पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रास्तुत अतिरिक्तपूर्ण धनराशि ₹ 453.67 लाख (रु0 चार करोड़ तिरैसन लाख सड़सत हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, लोक निर्माण वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 10 कार्य हेतु ₹ 01.00 लाख (रु एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रख जाने की श्री राज्यपाल भिन्नोक्ति शर्तों के अधीन सहय स्वीकृत प्रदान करते हैं।

(i) - उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का समाप्त होना ही पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0 1764/11(2)/16-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2016 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) - आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें संकृत आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, जयवा बाजार भाव के ली गई है की स्वीकृति पर नियमानुसार कार्यदाय अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) - कार्य पर खर्च ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृत माने है, स्वीकृत माने से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत ही रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) - कार्य करारों से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि से मजबूत रखत हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदर्शित दरो/विशिष्टों के अनुमोदन ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

(v) - आगमन में जिन मदों हेतु जा रशि स्वीकृत की गई है व्यय नहीं पर ये किया जाये एक मद को दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(vi) - स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उन्नातखण्ड प्रोपेक्शनमेंट अक्ट 2008 एवं उक्त क नियम में समय समय पर निर्मित समस्त विशा निर्देशों का कांठों के अनुपालन किया जायेगा। इसका अतिरिक्त बजट में कुल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii) - मुख्य सचिव, उन्नातखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XXV 219(2006) दिनांक 05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों को कार्य करता समय या आगमन मॉडल करत समय कांठों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) - उक्त नुसार स्वीकृत आगमन में एनपीजेडी सुनि आगमन, सुदिलकरी शक्तिय जादि मन्त्र के समय में यथावश्यक व्यय अनुमोदन सं0 22 केन्द्रीयक कडन राइकी जया संजुर्त पर पूर्यगत परिचरती 04 किया तथा अन्य संकृत-आयोजनाया-000 अन्य व्यय 06 संजुर्त/संजुर्त आदि हेतु सुनि अतिरिक्त-00 24 वृद्ध निर्माण कार्य में विभागीय आय-आयकों में प्रादिकारित तथा निर्देशों पर प्रयो करत सम्पादन में विभाग संलग्न।



- (16) - स्वाम्यत्व विभाजित रहे भागों की गुणवत्ता एवं सततपक्षता को समुचित ध्यान देकर सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वाम्यत्व कार्य को संचालित करने में आवश्यकता पड़ेगी तो आवश्यकता अनुसार कार्य कराया जायेगा।
- (17) - यदि स्वाम्यत्व विभाजित रहे भागों में सततपक्षता का नियमानुसार किया जायेगा।
- (18) - यदि स्वाम्यत्व विभाजित रहे भागों में सततपक्षता का नियमानुसार किया जायेगा।
- (19) - इस संबंध में जारी जिला स्तर पर निर्देश दिनांक 07/2016-17 में लोकर निर्माण विभाग के अनुभाग 20-22-लेखक/सीपीके-0354-210-की तय्यारी एवं सुनिश्चित परिपत्र-04 दिनांक 07/2016-17 तथा आयोगानुसार-000-अन्व-व्यय-03 राज्य लेखक-02 तथा निर्माण कार्य-24 वृत्त निर्माण कार्य के भागों को जारी किया जायेगा।
- (20) - यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-050/XXV11123/2016 दिनांक 16 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त जमीनी सहायता से जारी किया जा रहा है।

अधीक्षक  
(अधीक्षक सिंह हर्षोकी)  
प्रभारी अधिकारी

- संख्या- 111(2)/16-42(एमओएल050)/2016 तद्दिनांकित।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक प्रयोजनों हेतु भेजा जा रहा है।
1. महालखाकर (लेखा प्रबंधन), आदराय माहर्षी डिप्लोमा, भाजरा देहरादून।
  2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
  3. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, पिथौरागढ़।
  4. सहायक मुख्य/वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी, उत्तराखण्ड।
  5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, अशासक, देहरादून।
  6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
  7. अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
  8. अधीक्षक अभियंता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीएड/अस्कोट।

R-16

(रजिस्टार पागती)  
रजिस्टार

R-NO-2227/1 सी दि-23/10/16

प्रतिलिपि सहायक अभियंता (प्र) / जिलाधिकारी को  
100 सीटीए/डुनलार्ड को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु भेजा जा रहा है। P.A.C. Board

प्रतिलिपि कार्यालय (प्र) / जिलाधिकारी को  
भेजा जा रहा है।

अधीक्षक अभियंता  
(अधीक्षक सिंह हर्षोकी)  
21.10.2016

संख्या 111(2)/18 42(एचएलएचएल)/2018 दिनांक 1 अप्रैल, 2018 का सत्र

करी

कार्य का नाम

(विन्यासि लॉख र में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी में)	विभागीय सी/एचसी द्वारा अनुमोदित लागत	मासू कितीय नर् में आव-मुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया मार्ग बनाने का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00+ 1 Bridge	18.27	0.10
2	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	56.60	0.10
3	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00+	37.28	0.10
4	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	40.40	0.10
5	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	140 mtr.	19.60	0.10
6	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	29.50	0.10
7	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	85.00	0.10
8	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	72.50	0.10
9	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10 mtr.	0.40	0.10
10	जनपद विद्योरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत ग्राम मुनरवारी के अन्तर्गत नया से बन्ना मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	20.00+ 1 Bridge	93.17	0.10
कुल		63.00+ 06 bridge	453.67	01.00

(कुल रकम लॉख मात्र)

(रूपय में पावली)  
रूप सचिव